लोक सभा

वृहस्पतिवार २७ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसर) : मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कल जो मामला सदन के सम्मुख आया था उसके सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं तो उस समय सदन में मौजूद नहीं था किन्तु मेरे साथियों ने मुझे इसकी सूचना दी। जबकि सदन औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहा था उस समय यह मामला सामने आया। मुझे बतलाया गया कि सदन के कुछ सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि इस निगम ने जिन जिन औद्योगिक निकायों को ऋण दिया है उनके नाम सदन को बतलाये जायें और मेरे साथी को जो कि इस

विधेयक के चार्ज में थे, इस बारे में अब तक अपनाई गई नीति के कारण ऐसा करने में कठिनाई प्रतीत हुई। वास्तव में कुछ दिन हुए, मेरा ख्याल है कि शायद ७ नवम्बर को, मेरे साथी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य के इस प्रश्न के उत्तर में कि अमुक फ़र्म को ऋण दिया गया है अथवा नहीं, यह कहा था :

"उधार लेने वाली समवायों को वैसी ही गोपनीयता का अधिकार है जो कि बैंकर तथा ग्राहक में बैंकिंग सम्बन्धी सौदों के बारे में प्रचलित है, और इस लिये यह सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।"

मैं बैंकिंग के मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं। इस लिये मैं ने एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टि-कोण से इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयत्न किया है। पहली चीज़ जो मेरे मस्तिष्क में आई, यह थी। जब कि हम ने एक नीति का अनुसरण किया है और उसके आधार पर आगे बढ़े हैं तथा पक्षों को कुछ आश्वासन दिये हैं, तो हमारे लिये यह अच्छी बात नहीं होगी कि हम उन वादों की उपेक्षा करें जो हम सम्बन्धित पक्षों को दे चुके हैं।

दूसरे, अपने माननीय साथी वित्त मंत्री जी से जो कि इस मामले से बिलकुल प्रारम्भ से ही सम्बन्धित हैं तथा इस नीति का अनुसरण करते रहे हैं, परामर्श किये बिना मैं इस मामले में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। फिर भी, मैं पूर्णरूप से यह बात अनुभव करता हूं कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ने जो यह कहा कि बाद को, जब वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हों, इस मामले पर पूरी तरह विचार किया जाये उसमें कुछ बल है। यह स्मरण रखना चाहिये कि औद्योगिक वित्त निगम एक स्वायत्तशासी निगम है जो सरकार के प्रति ज़िम्मेदार है। सामान्यतया, एक स्वायत्तशासी संगठन के सम्बन्ध में संसद् उस के दिन प्रति दिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। निश्चय ही, आवश्यक होने पर वह उसे समाप्त कर सकती है अथवा उसकी किसी गम्भीर अनुचित कार्यवाही की जांच कर सकती है। यह बिलकुल दूसरी बात है, किन्तु एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना के पीछे भावना यह होती है कि सरकार अथवा संसद् की नीति या नियंत्रण के अधीन उसे अपना कारबार चलाने की स्वतंत्रता हो। दूसरे, उन फ़र्मों के सम्बन्ध में जिन्हें कि रुपया उधार दिया गया है, मैं समझता हूं कि वे लोक सीमित समवाय हैं। यह सम्बन्ध उस सम्बन्ध से भिन्न है जो कि एक ओर सरकार तथा दामोदर घाटी निगम के मध्य है--दामोदर घाटी निगम पूर्णतया सरकारी संगठन है--और दूसरी ओर, औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध की तुलना जिस ने कि इन्ह रुपया उधार दिया, रुपया उधार देने वाले प्राइवेट बकर से नहीं की जा सकती। इस लिये इसकी एक तीसरी ही श्रेणी है और चूंकि यह बीच की श्रेणी है इस लिये दूसरी ओर से भी तर्क दिये जा सकते हैं। और मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहना चाहता कि इस मामले में भविष्य में क्या निश्चित नीति होनी चाहिये, किन्तु इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई वादे कर दिये गये हों, आश्वासन दे दिये गये हों, तो हम सम्बन्धित पक्षों से विशेषकर माननीय वित्त मंत्री से जब कि वे वापस आयें परामर्श किये बिना उन पर पीछे नहीं हटना चाहेंगे और उन के आने पर भविष्य की नीति पर भी विचार किया जा सकता तथा उसे सदन के सम्मुख पेश किया जा सकता है।

यह महज़ उन के नाम भर बतलाने का प्रश्न नहीं है जिनको कि रुपया उधार दिया गया है किन्तु उन फ़र्मों के नाम पेश करने का भी प्रश्न आ सकता है जिन को कि रुपया नहीं दिया गया है और जिनके आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं। यदि हम यह बात प्रकाश में लायें कि हम ने किसी फ़र्म विशेष को रुपया नहीं दिया है तो इसके कारण हो सकते हैं और इससे उनके व्यापार को धक्का पहुंच सकता है।

पुनः यदि हम ऐसी लोक सीमित समवाय के आंतरिक मामलों पर विचार करें जिसको कि हमने रुपया दिया हो तो, मेरा निवेदन है यह सदन की सामान्य प्रथा के अनुकूल नहीं होगा कि हम इस प्रकार के ब्यौरे में जायें, तथा विभिन्न कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी।

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जब कि ये प्रश्न उठाय गये हैं तो हम उन्हें लेंगे और उन पर विचार करेंगे, जब कि माननीय वित्त मंत्री जी वापस आ जायें, और उस समय हम सदन के प्रतिनिधियों से भी मंत्रणा करेंगे तथा उनका मत मालूम करेंगे और तब सदन को भी इस मामले के बारे में सूचित करेंगे।

दूसरे, यदि कोई सदस्य कहता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिससे कि उसे यह संदेह होता है कि कोई अनुचित बात की गई है तो हम बड़ी प्रसन्नता से मामले की जांच करेंगे यदि वह उस जानकारी को हमारे सामने रक्खें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस मामले के सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण को देखते हुए इस विधेयक पर चर्चा को तब तक रोक दिया जाये जब तक कि माननीय वित्त मंत्री जी वापस लौट आयें।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश, विधेयक अब सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उस दशा में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एक-आध दिन औद्योगिक नीति पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की वाञ्छनीयता पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने एक दिन के लिये कहा । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सदन किसी भी विषय पर चर्चा करे, किन्तु वर्ष के या महीने के दिनों की संख्या बढ़ा देना मेरी शक्ति के बाहर है, और हमारे पास अधिक दिन शेष नहीं बचे हैं और उन सब में व्यस्त कार्यक्रम है ।

यह विशिष्ट विषय , जिसका मैं ने अपने वक्तव्य में निर्देश किया, प्रस्तुत विषय से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं है । यह एक अलग मामला है जिस पर चर्चा करके निर्णय किया जा सकता है । इस प्रश्न का कि कुछ नाम विशेष दिये जायें अथवा नहीं, विधेयक की वृहत्तर नीति से, अथवा हमारी औद्योगिक नीति से, कोई सम्बन्ध नहीं है !

खाद्य मिलावट विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन राजकुमारी अमृत कौर द्वारा खाद्य मिलावट के सम्बन्ध में कल प्रस्तुत किये गये विधेयक पर विचार करेगा ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : भारत जैसे देश को जोकि कुपोषण का शिकार है इस प्रकार के विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता है । देश में कुपोषण किस सीमा तक बढ़ा हुआ है यह वैसे तो स्वीकार किया ही जाता है परन्तु विशेषकर योजना आयोग ने इस विषय में जो लिखा है वह उल्लेखनीय है । योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुपोषण देश की शिशु मृत्यु, प्रसूता मृत्यु तथा सामान्य मृत्यु की अतिशय दर के लिये ज़िम्मेदार है तथा हमारे भोजन की कमियां लोक स्वास्थ्य के लिये गंभीर समस्या हैं ।

कुपोषण के कारण क्या हैं ? सब से बड़ा कारण खाद्य की कमी है, फिर असंतुलित भोजन और तीसरे खाद्यों में मिलावट । खाद्यान्नों की कमी एक वृहद् समस्या है और सरकार इसे दूर करने का प्रयत्न कर रही है । संतुलित भोजन के सम्बन्ध में हमें लोगों को शिक्षित करना है कि किस प्रकार उपलब्ध भोजन को संतुलित रूप से संयोजित किया जाय । तीसरी चीज़ मिलावट की समस्या है जो कि अधिक आसानी से सुलझाई जा सकती है । देश में जो भी भोजन उपलब्ध है वह यदि लोगों को बिना मिलावट के मिल सके तो कुपोषण की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है । इस लिये मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं । कुरुक्षेत्र शिविर में जहां कि तीन लाख व्यक्ति जमा थे, मैं ने स्वयं देखा कि उचित भोजन न मिलने के कारण रतौंध और खुजली बड़े व्यापक रूप से फैल गये ।

भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में दौरे के समय मैंने कुपोषण की भीषणता देखी है । जब मैं दक्षिणी भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में गई तो मैं ने वहां बच्चों को देखा जिनके ओठ पर सफ़ेद निशान थे । मैं ने समझा कि ये कुष्ठ के निशान हैं किन्तु डाक्टरों ने मुझे बतलाया कि यह कुपोषण के कारण है । इसी प्रकार के मामले मैं ने बंगाल और बिहार में देखे । इस लिये देश की जो बहुत सी समस्यायें हैं उन में से कुछ का हल कुपोषण को दूर करके हो सकता है ।

यह बड़े दुख का विषय है कि सभ्यता के साथ-साथ मिलावट में भी वृद्धि आ गई है, कम से कम इस देश में तो अवश्य । अब उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य का अन्तर